न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 81 / 2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रामाराम पुत्र मगाराम 2. मीरो पत्नी मगाराम जातियान जाट निवासीयान सिद्ध श्रीजसनाथनगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. ईशराराम पुत्र किशनाराम 2. घेवरराम पुत्र किशनाराम 3. हुकमाराम पुत्र किशनाराम 4. पारू पत्नि किशनाराम 5. कुम्भाराम पुत्र सताराम 6. वागाराम पुत्र सताराम 7. भेराराम पुत्र सताराम 8. खेताराम पुत्र अचलाराम 9. धापू पत्नि अचलाराम 10. पेलादराम पुत्र धीराराम 11. विरधाराम पुत्र धीराराम 12. मुलाराम पुत्र जेसाराम जातियान जाट निवायान सिद्ध श्रीजसनाथनगर तहसील सिणधरी 13. शाखा भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिणधरी 14. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 14 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:23:27 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक [illegible]

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] सिद्ध श्रीजसनाथनगर पटवार मण्डल कादानाडी के खसरा [illegible] 57 रकबा क्रमशः 1.0355, 0.0647, 32.5218, 6.4073, 10.1125 हैक्टेयर कुल रकबा 50.1418 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 28.03.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा- श्रीजसनाथनगर पटवार मण्डल कादानाडी के खसरा संख्या 141, 150, 151, 155, 157 रकबा क्रमशः 1.0355, 0.0647, 32.5218, 6.4073, 10.1125 हैक्टेयर कुल रकबा 50.1418 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र.स.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	रामाराम पुत्र श्री मगाराम 1/2 मीरोदेवी पत्नी मगाराम 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार रहन- एस.बी.बी.जे. सिणधरी	सिद्ध श्री जसनाथनगर	150 151	0.0324 12.5030	गै.मु.ढा. बा.दो.	– 1.63	हरा
2	ईश्वराराम घेवरराम हुकमाराम पि. किशनाराम पारू पत्नी किशनाराम 1/9 हिस्सा कुम्भाराम 1/9बाबाराम 1/9 मेराराम 1/9 पि. सताराम, खेताराम पुत्र श्री अचलाराम 1/18 धापू पत्नी अचलाराम 1/18 पेलादराम 1/18 विरधाराम 1/18 पि. धीराराम, मूलाराम पुत्र श्री जेसाराम 1/3 हि. जाति जाट सा. देह खातेदार रहन कुम्भाराम पेलादराम, मूलाराम विरधाराम का हि. एस.बी.बी.जे. सिणधरी	सिद्ध श्री जसनाथनगर	141 150 151 151 155 157	1.0355 0.0323 1.5775 18.4413 6.4073 10.1125	बा.दो. गै.मु.ढा. बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो.	0.13 – 0.20 2.40 0.83 1.31	केसरीया

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:23:27 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी